संख्या- 87 /2025/ 719 /चार-2025-1904584

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 06 मार्च, 2025

विषय- उत्तर प्रदेश पर्व 'हमारी संस्कृति- हमारी पहचान' के अन्तर्गत 'संस्कृति उत्सव' में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं अन्य व्यवस्था पर हुए वास्तविक व्यय की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-5447/सं0नि0-15(104)/2024-25, दिनांक 19 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या- 414/2024-3904/चार-2024 दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के क्रम में उत्तर प्रदेश पर्व 'हमारी संस्कृति-हमारी पहचान' के अन्तर्गत 'संस्कृति उत्सव' में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस-2025 के अवसर पर अवध शिल्प ग्राम, लखनऊ में संस्कृतिक की गयी प्रस्तुतियों के दृष्टिगत उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय, आवास एवं भोजन तथा कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय का विवरण निम्नवत उपलब्ध कराया गया हैः-

क्र.सं.	कलाकार का नाम	मानदेय	किराया	कुल मानदेय
1	श्री कीर्ति सक्सेना, बरेली	30000	7458	37458
2	सुश्री अन्नू, आजमगढ़	30000	11550	41550
3	सुश्री हिना मौर्या, गोरखपुर	30000	11154	41154
4	श्री राघव पाण्डेय, चित्रकूट	30000	90075	39075
5	श्री कैलाश बाबू, चित्रकूट	30000	8118	38118
6	श्री सिद्धाथ नेगी, बरेली	30000	10098	40098
7	श्री आशिनी देव यादव, आजमगढ	30000	10230	40230
8	श्री सुनील कुमार, आजमगढ़	30000	10230	40230
9	सुश्री शशि मिश्रा, बरेली	30000	10098	40098
10	श्री अंजनी कुमार सिंह, आजमगढ़	30000	11550	41550
11	श्री किशन मद्धेशिया आजमगढ़	30000	10230	40230
12	मे0 फ्लीज इवेन्ट एण्ड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, लखनऊ	24-25/137 से 24-25 तक दिनांक 30.01.2025		653757
13.	मे0 एम.आर. ट्रेवेल्स, लखनऊ	509/21.02.2025		209664
14.	मे0 आर्टिस्टिक आर्ट फोरम प्रा0लि0, चेन्नई	2192/24-25/22.01.2025		47940
		2193/24-25/22.01.2025		231900
15.	मे0 रिचि रिच, लखनऊ	24-25/0260/09.02.2025		41706
कुल योग (रूपये सोलह लाख चौबीस हजार सात सौ अट्ठावन मात्र)-				1624758

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार उत्तर प्रदेश पर्व 'हमारी संस्कृति-हमारी पहचान' के अन्तर्गत 'संस्कृति उत्सव' में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं अन्य व्यवस्था पर हुए वास्तविक व्यय रू0 16,24,758.00 (रूपये सोलह लाख चौबीस हजार सात सौ अट्ठावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

3. <u>शर्तें/ प्रतिबन्ध :-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- 25-उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 2024-25-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 87 /2025/ 719 (1)/ चार-2025-1904584, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।